न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 191/2025 अपील (GCMS 2025/216)
पंजीयन दिनांक- 10/09/2025

1. श्री राजमल पुत्र बंशीलाल चौबीसा, निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती लतादेवी पुत्री बंशीलाल चौबीसा, निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
3. श्रीमती सज्जनबाई पत्नि बंशीलाल चौबीसा, निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
4. श्रीमती सुमित्रा देवी पुत्री बंशीलाल चौबीसा, निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।

-अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीण्डर, जिला उदयपुर।

-रेस्पोडेंट

उपस्थितिः-

1. श्री सुरेशपुरी गोस्वामी - अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक - अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर, जिला उदयपुर के
प्ररकण संख्या 13/2023 निर्णय दिनांक 01.05.2025

निर्णय

दिनांक 30/03/2026

अपीलांट्स द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर, जिला उदयपुर के प्रकरण संख्या 13/2023 निर्णय दिनांक 01.05.2025 के विरूद्ध दिनांक 04.09.2025 को प्रार्थना पत्र धारा 05 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर के साबिक आराजी नम्बर 27 श.न. 32/2, 42/3 किता 2 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा के नवीन सेटलमेंट के बाद नवीन आराजी नम्बर 163, 164 किता 2 रकबा 0.4100 हैक्टेयर कायम किये गये, जो अपीलांट्स के पिता की मृत्यु के बाद विरासत से अपीलांट्स के नाम दर्ज हुई। नवीन सेटलमेंट के बाद भूमि का साबिक रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा के अनुसार दर्ज नहीं कर 0.4100 हैक्टेयर भूमि दर्ज कर दी गई, यानि 0.4324 हैक्टेयर भूमि अपीलांट्स के नाम कम दर्ज कर दी गई, जिसे न्यायहित में सुधार किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर, जिला उदयपुर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 13/2023 निर्णय दिनांक 01.05.2025 से अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 01.05.2025 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है:- ***"प्रकरण में तहसीलदार, भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि साबिक व हाल नक्शों का मिलान करने पर पाया कि हाल खसरा संख्या 163, 164 भी मिलान क्षै. अनुसार दर्ज साबिक खसरा 27-32/2 से ही बना होकर खसरा संख्या 42/3 का भी हिस्सा शामिल करते हुए बनाया गया है। अर्थात मिलान क्षै. भी गलत दर्ज किया गया है। यह कि आस-पडौस के सभी खातेदारों की साबिक व हाल जमाबंदी व नक्शों का अवलोकन करने पर पाया गया कि आस-पडौस के सभी खातेदारों को पुराने रिकार्ड अनुसार दर्ज ना किया जाकर एक-दुसरें की भूमि में दर्ज किया गया है। अतः उक्त प्रकरण धारा 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं है। धारा 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत लिपिकीय त्रुटि व तरमीम को सुधारा जाता है। अतः प्रकरण धारा 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने व वादी के वाद पेश करनते के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र धारा 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम का अस्वीकार योग्य पाया जाता है। परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।"*** उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेशपुरी गोस्वामी उपस्थित, रेस्पोडेंट की ओर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 23.03.2026 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पूर्वाधिकारी के नाम ग्राम भीण्डर खेवट खतौनी संख्या नई 840 पुरानी 474 खसरा संख्या 27 श. न. 32/2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 42/3 रकबा 2 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा (0.8424 हैक्टेयर) भूमि दर्ज रही थी। दौराने नवीन सेटलमेंट लिपिकीय त्रुटि से 0.8424 हैक्टेयर की जगह 0.4100 हैक्टेयर दर्ज कर दिया गया, और उक्त सेटलमेंट के दौरान मौके पर निरीक्षण भी भू-प्रबंध अधिकारी द्वारा अपीलांट्स की मौजूदगी में नहीं किया गया। अपीलांट्स आज जी अपनी पूर्ण रकबा 0.8424 हैक्टेयर भूमि पर काबिज हो व बिना किसी अवरोध के उपयोग-उपभोग करते आ रहे है, भू-प्रबंध अधिकारियों का विधिक दायित्व है, कि भू-संपदा याा खेतों की सरहदों में कोई परिवर्तन, प्रविष्ठी गलत हो जावें तो उनका सुधार किया जावें व हस्तगत प्रकरण में भी जमाबंदी में परिवर्तन और त्रुटियों को सुधारने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअंदाज कर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसे न्यायाहित में अपास्त फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की फरमाई जावें तथा नवीन आराजी नम्बर 163, 164 में रकबा 0.4100 हैक्टेयर के बजाय 0.8424 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में अपीलांट्स के नाम दर्ज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर, जिला उदयपुर द्वारा दिनांक 01.05.2025 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

हमने विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का संलग्न किया गया है, जिस पर मनन उपरान्त न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर में अपीलार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति साबिक आराजी नम्बर 27 किता-2, 3 बीघा 18 बिस्वा के नवीन सेटलमेंट के बाद नवीन आराजी नम्बर 163, 164 किता-2 रकबा 0.4100 हैक्टेयर कायम किए गए यानि 0.4324 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज की गई जिसे धारा-131,

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं मानते हुए वादी के वाद का अधिकार सुरक्षित रखते हुए आवेदन दिनांक 01.05.2025 को अस्वीकार किया गया, जिसकी अपील प्रस्तुत की गई।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा-136 भू अभिलेख अधिकारी को राजस्व रेकार्ड में लिपिकीय त्रुटियों या पक्षों की सहमति से हुई गलत प्रविष्टियों को सुधारने का अधिकार देती है। इस क्रम में राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 6(12)राज 16/92/26 दिनांक 20.12.1995 में प्रदत्त निर्देशानुसार भू-प्रबन्ध के दौरान यदि बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश यदि किसी की खातेदारी की कृषि भूमि को परिवर्तित किया गया है तो धारा-136 के तहत उसे ठीक कराया जा सकेगा। धारा-136 के तहत किसी को कोई नए खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकेंगे बल्कि रेकार्ड के आधार पर जो अधिकार निहित थे और जो सही एवं वास्तविक स्थिति थी, उनके अनुसार ही गलतियों को संशोधित कर सही किया जा सकेगा।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में जब प्रस्तुत अपील में यह स्वीकार्य तथ्य है कि अपीलार्थी के खाते में सेटलमेंट से पूर्व की खातेदारी भूमि में कटौती की गई है, तो मात्र अन्य पड़ौसी खातेदारों को पक्षकार नहीं होने का कारण इंगित करते हुए आवेदन अस्वीकार कर वाद से जरिए अनुतोष प्राप्त किए जाने का समाधान उचित नहीं समझा जाता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर, उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में आस पड़ौस के समस्त संबद्ध खातेदारों को पक्षकार बनाया जाकर साबिक रेकार्ड से मिलान किया जाकर सेटलमेंट पूर्व की स्थिति का समुचित अध्ययन कर तद्नुसार यथोचित सुधारात्मक कार्यवाही चार माह में सम्पूरित की जावे। अपीलार्थीगण वास्ते सुनवाई उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर के समक्ष दिनांक 29.04.2026 को उपस्थित हों।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज0)

राजमल चौबीसा व अन्य	**बनाम**	तहसीलदार, भीण्डर

किस्म मुकदमा निगरानी / अपील / मुकदमा नं. 191 / 2025 अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
30.03.2026	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। निर्णय सुनाया जाकर विस्तृत निर्णय अलग से शामिल फाईल किया गया। अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर, उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में आस पड़ौस के समस्त संबद्ध खातेदारों को पक्षकार बनाया जाकर साबिक रेकार्ड से मिलान किया जाकर सेटलमेंट पूर्व की स्थिति का समुचित अध्ययन कर तद्नुसार यथोचित सुधारात्मक कार्यवाही चार माह में सम्पूरित की जावे। अपीलार्थीगण वास्ते सुनवाई उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर के समक्ष दिनांक 29.04.2026 को उपस्थित हों। मिसल फैसल शुमार हो। 30/3/2026 संभागीय आयुक्त उदयपुर (राज.)		